



# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## (मुख्य योजना अनुभाग) शुद्धि पत्र

**विषय :- क्षेत्रीय योजनाओं के संबंध में आपत्तियां / सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि ।**

सभी क्षेत्रीय योजनाओं के संबंध में जनता द्वारा आपत्तियां / सुझाव प्रस्तुत करने की समय अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है ।

तदनुसार, जनता मसौदा क्षेत्रीय योजना जोन 'सी', 'एफ', 'एम' और 'पी-1', के संबंध में अपनी आपत्तियां / सुझाव पहले अधिसूचित 6 फरवरी, 2008 के स्थान पर 8 अप्रैल, 2008 से पूर्व भेज सकती है ।

अब मसौदा क्षेत्रीय योजना 'सी', 'एफ', 'एम' और 'पी-1', के संबंध में आपत्तियां / सुझाव प्रधान आयुक्त एवं सचिव कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ब्लाक-बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 को 8 अप्रैल, 2008 से पहले भेजे जा सकते हैं ।

हस्ता./-

**(विश्व मोहन बंसल)**

नई दिल्ली

एफ 3(3)2008 / एम.पी. / पार्ट-1

प्रधान आयुक्त एवं सचिव  
दिल्ली विकास प्राधिकरण